लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 438 18 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

कच्चा इस्पात क्षमता

438. श्री प्रताप सिम्हा:

क्मारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत की मार्च, 2017 तक कच्चे इस्पात की क्षमता 126 मिलियन टन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या राष्टीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में घरेलू कच्चे इस्पात क्षमता की वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पिछले दशक में केवल 66 मिलियन टन की क्षमता की वृद्धि ही हो पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कई बड़ी वैश्विक इस्पात कंपनियों ने भूमि की अवस्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, परियोजना की आर्थिक संवहनीयता, संभार तंत्र इत्यादि जैसे कई कारकों के कारण विभिन्न ग्रीनफील्ड इस्पात परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): वर्ष 2016-17 में भारत की क्रूड इस्पात क्षमता 128.28 मिलियन टन (एमटी) थी। विगत पांच वर्षों के दौरान भारत की क्रूड इस्पात क्षमता संबंधी आंकड़े निम्नवत् तालिका में दर्शाए गए हैं:-

वर्ष	क्रूड इस्पात क्षमता (एमटी)
2012-13	97.02
2013-14	102.26
2014-15	109.85
2015-16	121.97
2016-17	128.28
स्रोत: जेपीसी	

(ख): राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017, वर्ष 2030-31 तक घरेलू क्रूड इस्पात क्षामता को 300 मिलियन टन बढ़ाने के लिए परिकल्पित है। यह वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2031 तक 171.72 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षामता को इंगित करता है।

(ग): वर्ष 2007-08 एवं 2016-17 के दौरान क्रूड इस्पात क्षमता संबंधी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं और देश में विगत दशक के दौरान अतिरिक्त 68.43 एमटी क्रूड इस्पात क्षमता को इंगित करते हैं:-

वर्ष	क्रूड इस्पात क्षमता (एमटी)
2007-08	59.85
2016-17	128.28
अतिरिक्त क्षमता	68.43
स्रोतः जेपीसी	

(घ): इस्पात परियोजना को लगाने का निर्णय व्यक्तिगत निवेशक द्वारा लिया जाता है, जो विभिन्न कारकों जैसे भूमि की स्थिति, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रदत्ता, लॉजिस्टिक इत्यादि पर निर्भर करता है। कच्ची सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 और कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 2015 बनाया। यह सांविधिक फ्रेमवर्क लौह अयस्क और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की पद्धित को पारदर्शिता प्रदान करता है।
